

416

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: ग-12882/नवीव/3/2000

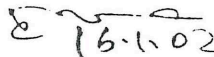
जयपुर, दिनांक 16.10.2002

आदेश

इस विभाग के तमसंख्यक आदेशा दिनांक 31.8.2001 में निम्नांशार
तशोधन किया जाता है।

1. आदेश की शर्त संख्या 4 की पॉस्ट 7 व 8 में अंकित शब्द "राज्य
स्तरीय समितियों को - के पश्चात तथा शब्द - "प्रेषित किया जावेगा -
के मध्य शब्द - को अपने निष्कर्ष/निष्पत्ति सहित - जोड़े जाते हैं।
2. आदेश के पैरा 15 के पश्चात निम्नांकित नया पैरा 16 जोड़ा जाता
है।
" 16. इस आदेश के अन्तर्गत जमीनों को विक्रय से निष्कादित/
निष्पत्ति करने की कार्यवाही उती निष्काय द्वारा सम्बन्धित तमशोता
समिति के निर्णयानुसार की जायेगी जिसके द्वारा भूमि आदि
विकार पर दी गई थी। "

आज्ञा ते,


§ स.प.सिंह-भारद्वज §
शासन उप सचिव.

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: ग-12882/नवीव/3/2000

जयपुर, दिनांक

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मद्रुणालय, जयपुर को राजपत्र के भाग 68 क० अतापरण
[आगामी अंक] में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। प्राधिकरण इत्र संलग्न है।
380 प्रतियाँ इस विभाग को भिजवाई।

2. निजी तहसील मंत्री, स्व.यत शासन विभाग, जयपुर।

3. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।

4. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

लगातार.....2

(274)